07-01-2025

सुन्दरलाल बनाम माणकलाल

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में अपीलांट ने जिस खातेदारी सनद के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारी सनद के पीछे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू करते हुए उक्त आक्षेपित खातेदारी सनद को निरस्त कर दिया है। अब अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहा है। अतः अपीलाधीन खातेदारी सनद का अवलोकन करते हुए उचित आदेश पारित किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन खातेदारी सनद का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में जिस खातेदारी सनद को चुनौती दी गई है उक्त खातेदारी सनद के पुस्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जाकर खातेदारी सनद को निरस्त किये जाने से प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर